दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, सोमवार 03 अप्रैल 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 184

महत्वपूर्ण एवं खास

कोविड संक्रमित मामले 18 हजार से अधिक

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के तीन हजार से ज्यादा नये मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 18 हजार से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3824 नये मामले दर्ज किये गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या 18,389 हो गयी है और संक्रमण दर बढक़र 2.87 प्रतिशत हो गयी है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1784 व्यक्ति कोविड संक्रमण से उबर गए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.77 प्रतिशत है। इसी अवधि में 1,33,153 कोविड संक्रमण परीक्षण किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 2799 कोविड टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही देश में 220.66 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं।

दर्दनाक : बीच हवा में हॉट एयर बैलून में लगी आग, सहमे यात्रियों ने लगा दी छलांग- 2 की मौत

मेक्सिको सिटी। अमेरिका से सटे मेक्सिको से एक दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। मैक्सिको सिटी के पास प्रसिद्ध टियोतिहुआकैन पुरातत्व स्थल के ऊपर उड़ रहे एक हॉट एयर बैलून में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई। मेक्सिको की सरकार ने एक बयान में कहा कि आग लगने के बाद बैलून में सवार यात्री बैलून से कूद गए। इस हादसे में एक बच्चे के झुलसने की भी खबर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने मरने वाले यात्रियों के नाम नहीं बताए हैं। मरने वाले यात्रियों की पहचान एक 39 वर्षीय महिला और एक 50 वर्षीय व्यक्ति के रूप में की गई है। सरकरा द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस हादसे में मरने वाले बच्चे का चेहरा आग से पूरी तरह से झुलस गया था। इसके साथ ही उसका दाहिना पैर भी फ्रेक्चर हो गया था।

पीएम ने दिया ब्रिटेन-अमेरिका को झटका, अंग्रेजी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

रोम। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ब्रिटेन और अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने नया कानून पेश किया है। इसके मुताबिक सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करने पर 1 लाख यूरो यानि 1,08,705 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना भरना होगा। बता दें कि अंग्रेजी ब्रिटेन और अमेरिका में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। अब इटली में आधिकारिक संचार में किसी भी विदेशी भाषा विशेष रूप से अंग्रेजी के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाया जाएगा। इटली के लोअर हाउस की नेता फैबियो रामपेली ने यह कानून पेश किया है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने इसे पूरा समर्थन दिया है। कानून के प्रस्ताव के मुताबिक आधिकारिक संचार में किसी भी विदेशी भाषा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की बात कही गई है। मगर विशेष रूप से एंग्लोमेनिया यानि इंग्लिश पर प्रतिबंध को केंद्रित किया गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि विदेशी भाषा का इस्तेमाल इतालवी भाषा को नीचा दिखाता है। इससे अपमान भी महसूस होता है।

अत्याचारपूर्ण कृत्यों से जुड़े मामलों का फैसला नहीं कर सकती कंज्यूमर कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली 02 अप्रैल,(आरएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उपभोक्ता अदालतें (कंज्यूमर कोर्ट) तथ्यों के अत्यधिक विवादित प्रश्नों या कपटपूर्ण कृत्यों या धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामलों से संबंधित शिकायतों का फैसला नहीं कर सकती हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा: आयोग के समक्ष कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त होने के कारण, तथ्यों के अत्यधिक विवादित प्रश्नों या कपटपूर्ण कृत्यों या धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामलों से संबंधित शिकायतों को उक्त अधिनियम के तहत मंच/आयोग द्वारा तय नहीं किया जा सकता है।

पीठ ने आगे कहा, सेवा में कमी, साथ ही तय की गई, को आपराधिक कृत्यों या अत्याचारपूर्ण कृत्यों से अलग करना होगा। अधिनियम की धारा 2(1)(जी) के अनुसार, सेवा में प्रदर्शन की गुणवत्ता, प्रकृति और तरीके में इरादतन गलती, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि सेवा में कमी को साबित करने का भार हमेशा आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर होगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सिटी यूनियन बैंक ने 8 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट को गलत खाते में स्थानांतरित कर दिया था। शिकायतकर्ता ने 1999 में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी) में शिकायत दर्ज की। राज्य आयोग ने बैंक और उसके अधिकारी को दोषपूर्ण सेवा का दोषी पाया और शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा, नुकसान और कठिनाई

के लिए 1 लाख रुपये के मुआवजे के साथ बैंक को 8 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

सिटी यूनियन बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और अन्य ने राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) का रुख किया, लेकिन इसकी अपील फरवरी 2007 में खारिज कर दी गई। एनसीडीआरसी के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष 2009 में उनके द्वारा अपील दायर की गई थी। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सिटी यूनियन बैंक और अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने इस तथ्य की सराहना नहीं करने में त्रुटि की थी कि प्रदर्शन में किसी भी दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता के अभाव में, जो अपीलकर्ताओं के बैंक द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता थी, यह नहीं माना जा सकता था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(जी) के तहत परिभाषित सेवा में कमी थी।

वकील ने आगे तर्क दिया कि यदि कोई धोखाधड़ी की गई थी, तो ऐसे विवाद राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे। शिकायतकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि जब दो मंचों ने लगातार अपीलकर्ताओं को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है, तो शीर्ष अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बैंक अपने कर्मचारियों के कृत्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा और बैंक की ओर से सेवा में स्पष्ट कमी थी।

पीठ ने कहा, जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का सवाल है, अगर शिकायत में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर भी लिया जाए, तो यह भी स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अपीलकर्ताओं के बैंक के कर्मचारियों की ओर से कर्तव्य के निर्वहन में कोई जानबूझकर गलती, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता नहीं थी, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(जी) के तहत सेवा में कमी के रूप में माना जा सकता है।

पीठ ने कहा कि कंपनी के निदेशकों में से एक के बीच कुछ विवाद चल रहे थे, यदि कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी, तो बैंक के कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था, अगर उन्होंने ईमानदारी से कार्य किया था और उचित प्रक्रिया का पालन किया था।

पीठ ने कहा: मौजूदा मामले में, प्रतिवादी-शिकायतकर्ता अधिनियम की धारा 2(1)(जी) के अर्थ के भीतर अपीलकर्ता-बैंक के कर्मचारियों की ओर से सेवा में कमी को साबित करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहा है, उसकी शिकायत खारिज करने योग्य है, और तदनुसार खारिज की जाती है। इसलिए राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश रद्द किए जाते हैं और अपास्त किए जाते हैं। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

कूनो पार्क से भागकर खेत में घुसा चीता, गांव के लोग दहशत में; रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम

श्योपुर (आरएनएस)। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से भागकर एक चीता पास के गांव में घुस गया है। चीते का नाम ओवान बताया जा रहा है। ओवान चीते के गांव में घुसने की सूचना से गांव के लोग दहशत में आ गए हैं। लोग यहां लाठी-डंडे लेकर जमा हो गए हैं। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग के साथ-साथ स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है। ग्रामीण लाठी-डंडे हाथ में लेकर चीते को ढूंढ रहे हैं। रेस्क्यू के लिए वाइल्ड लाइफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। ओवान नाम का यह चीता अभ्यारण से बाहर निकल आया है और यह अभ्यारण के एरिया से बाहर निकलने के बाद जिले की विजयपुर तहसील के गोली पुरा और झाड़ बड़ौदा गांव के पास पहुंच गया।जब गांव के खेतों में ग्रामीणों ने इस चीता को देखा तो डर गये। उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से सभी ग्रामीणों ने अपने हाथों में लाठी-डंडे ले लिए हैं और इसकी सूचना वन

विभाग को दी।

जब इसकी सूचना वन विभाग को लगी तो उनके होश उड़ गए। उसके बाद आनन-फानन में वन विभाग के अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और वाइल्ड लाइफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद चीता खेत में बैठा नजर आया था। उसकी पहचान ओवान नाम के चीते के रूप में हुई है। फिलहाल विभाग की टीम के द्वारा रेस्क्यू जारी है, संभवत: उसे सुरक्षित पकड़ लिया जाएगा।

पेगासस जैसा जासूसी सिस्टम खरीदने की तैयारी में केंद्र सरकार, 9 अरब 86 करोड़ का है बजट

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में मचे जासूसी विवाद के बीच केंद्र सरकार पेगासस जैसा ही एक एक नया स्पाईवेयर सिस्टम खरीदने की तैयारी में है, जिसके लिए बातचीत आगे के स्तर तक पहुंच गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के इस संबंध में दवा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार विवादित पेगासस स्पाईवेयर की जगह अब कम प्रोफ़ाइल के साथ एक नया स्पाइवेयर सिस्टम प्राप्त करना चाहती है। इसके लिए 12 करोड़ डॉलर (लगभग 9 अरब 86 करोड़) तक का बजट रखा गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी पेगासस की तुलना में कम उजागर स्पाइवेयर सिस्टम की तलाश कर रहे हैं। जिसका उपयोग अन्य जगहों पर पेगासस के मुक़ाबले कम हुआ हो। बता दें कि, पेगासस इसराइल के हस्त्ह ग्रुप का स्पाईवेयर सिस्टम है। पेगासस को लेकर गत वर्ष विपक्षी दलों द्वारा बड़ा दावा किया गया था। विरोध का आधार और और इसको लेकर किए जा रहे दावों के अनुसार, कहा गया था कि पेगासस की सहायता से सरकार ने कई राजनेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के ख़िलाफ़ इसका उपयोग किया है। हालांकि भारत सरकार ने आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा था कि पेगासस से सरकार का कोई लेना देना नहीं है।

बताया जा रहा है कि भारत जल्द ही एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने के लिए पूरे विश्व से स्पाइवेयर फर्मों को आमंत्रित करने वाले प्रस्तावों के लिए आग्रह कर सकता है। यह प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, बेलारूस और साइप्रस समेत अन्य देशों में मौजूद स्पाइवेयर फर्मों को भी आकर्षित कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में सरकारों के संबंध में माना जाता है कि स्पाईवेयर क्षमताएं निजी सैन्य ठेकेदारों के बजाय उनकी अपनी खुफिया एजेंसियों द्वारा डेवलप की गई हैं।

खटीमा में सड़क हादसे में फोर्स ट्रैक्स क्रूजर के ड्राइवर की हुई मौत, 11 घायल

खटीमा (आरएनएस)। उत्तराखंड के खटीमा में एक बड़ा सडक़ हादसा हुआ है। यहां सवारियों से भरे वाहन को एक कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में फोर्स ट्रैक्स क्रूजर चालक की मौत हो गई। जबकि 11 लोग घायल हो गए। घायलों का खटीमा के उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिसमें से 4 लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से हायर सेंटर रेफर कर दिया है। यह हादसा पहेनिया टोल टैक्स के पास हुआ है।

जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर जिले में खटीमा के पहेनिया टोल टैक्स के पास रविवार को सवारी से भरी फोर्स ट्रैक्स क्रूजर गाड़ी को रॉन्ग साइड से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में फोर्स ट्रैक्स क्रूजर गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 11 लोग बुरी तरह से घायल हो गए।

हादसे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 की मदद से उप जिला

अस्पताल खटीमा में भर्ती कराया। जहां हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। खटीमा उपजिला अस्पताल के डॉक्टर अकलीम अहमद ने बताया कि एंबुलेंस की मदद से 11 घायल और एक मृतक को अस्पताल लाया गया। जिसमें चार लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है।

फिलहाल, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वाहन सवार रामनगर से रुद्रपुर जा रहे थे। तभी पहेनिया टोल टैक्स के पास यह हादसा हो गया।

सवारियों के मुताबिक, कार चालक को झपकी लग गई थी जिसकी वजह से अचानक कार चालक रॉन्ग साइड आ गया। इस हादसे में चालक की जान चली गई।

सड़क हादसे में 3 युवक मृत, सड़क बिखरे पड़े रहे शव

हरदोई (आरएनएस)। बाइक सवार तीन दोस्तों की बीती देर रात हुए सडक़ हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। साण्डी रोड पर ज्ञानपुरवा के पास हुए हादसे का शिकार बने दो दोस्तों के शव सडक़ पर इधर-उधर और तीसरे का शव पुलिया के नीचे से बरामद किया गया। इस बारे में एएसपी पूर्वी नृपेंद्र सिंह ने बताया है कि पुलिस शवों को अपने कब्ज़े में लेते हुए उनका पोस्टमार्टम कराया है। हादसे की जांच की जा रही है।बताया गया है कि साण्डी थाने के जजवासी गांव निवासी 35 वर्षीय अनिल सिंह उर्फ पिंकू सिंह पुत्र उत्तम सिंह इसी गांव के 31 वर्षीय विनीत सिंह उर्फ बिन्नू सिंह पुत्र बदन सिंह और 36 वर्षीय राजवीर सिंह उर्फ लुक्का सिंह पुत्र डाल सिंह तीनों आपस में गहरे दोस्त थे। शनिवार को तीनों एक ही बाइक से जलालपुर गए हुए थे। जहां से देर रात को वापस गांव लौट रहे थे। उसी बीच उनकी बाइक रास्ते में मंझिला पुल से कुछ पहले ज्ञानपुरवा के पास किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी की ज़ोरदार टक्कर लगने से तीनों बाइक सवार उछल कर काफी दूर जा गिरे,इसका पता होते ही वहां पहुंची।पुलिस ने अनिल सिंह उर्फ पिंकू सिंह और विनीत सिंह उर्फ बिन्नू सिंह के शव सडक़ पर इधर-उधर और राजवीर सिंह उर्फ लुक्का सिंह का शव पुलिया के नीचे पड़ा हुआ बरामद किया। एक ही गांव के तीन-तीन लोगों की मौत की खबर से जजवासी गांव में कोहराम बरपा हो गया। एसएचओ साण्डी राजदेव मिश्रा का कहना है कि शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है।

सजा के खिलाफ सोमवार को कोर्ट जा सकते हैं राहुल गांधी

नई दिल्ली (आरएनएस)। राहुल गांधी आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा के खिलाफ सोमवार को सूरत की अदालत में अपील कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि कानूनी टीम ने पूरी तैयारी कर ली है। राहुल गांधी को 23 मार्च को मानहानि के मामले में दो साल के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने गुरुवार को कहा कि एक कानूनी टीम उस मामले पर काम कर रही है जिसमें राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया था।

खडग़े ने कहा कि पार्टी राजनीतिक और कानूनी रूप से

मामले का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने राहुल गांधी को जल्दबाजी में अयोग्य घोषित करने के लिए केंद्र सरकार की भी आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष ने अयोग्यता को प्रतिशोध करार दिया। लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता के विरोध में, और अदानी समूह के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की अपनी मांग को दबाने के लिए, कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ देश भर में 'जय भारत सत्याग्रह' शुरू किया है।

जशपुर में पहाड़ी कोरवा परिवार के 4 लोगों ने की खुदकुशी : दो बच्चे भी शामिल

जशपुर (आरएनएस)। जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. मृतकों में माता पिता सहित दो बच्चे शामिल हैं. माना जा रहा है कि पति पत्नी ने पहले बच्चों की हत्या की, उसके बाद खुद फांसी पर लटक गए. ग्राम सम्हार बहार के झूमरा डूमर बस्ती से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर चारों के शव लटके हुए हैं. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है. खुदकुशी का कारण फिलहाल अज्ञात है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली 42 जनजातियों में से एक पहाड़ी कोरवा जनजाति है. पहाड़ी कोरवा को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों का स्थान मिला है. राज्य सरकार ने इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है. पहाड़ी कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की नस्ल है. इनका अपना रहन-सहन, खान-पान, सभ्यता और संस्कृति है. इस जनजाति पर बढ़ रहे खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें संरक्षित सूची में स्थान दिया है. ये घने जंगलों में रहते हैं। आदिवासी समाज के रीतिरिवाज काफी अलग और कठिन होते हैं. पहाड़ी कोरवा के घर पर अगर किसी की मौत हो जाती है तो परिवार में रहने वाले वो घर छोड़ देते हैं. हर मौत के बाद इनका घर बदलने का सिलसिला चलता रहता है। कोरवा जनजाति के रहन सहन के साथ ही इनका खानपान भी अलग है. ये मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं. चोंगी में खाना खाते हैं. फल फूल कंदमूल और जो भी जंगल से मिलता है वहीं इनका जीवन जीने का जरिया होता है।

बिहार हिंसा पर एक्शन में अमित शाह, राज्यपाल के साथ मीटिंग; अर्धसैनिक बलों को उतारा

पटना (आरएनएस)। बिहार में हिंसा के बाद केंद्रीयगृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से बात की है। अमित शाह ने राज्यपाल सेबिहार शरीफ, सासाराम और अन्य जगहों पर उपद्रवियों की ओर से की गई हिंसा और ताजा हालात पर चर्चा की। बिहार के कई जिलों में हिंसा और दो समुदायों के बीच हिंसा और दंगे जैसी स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए हैं। गृह मंत्री ने बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर से विचार विमर्श करने के बाद राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती का फैसला किया है। राज्य के सासाराम, नालंदा, गया भागलपुर और मुजफ्फरपुर से उपद्रव और हिंसा की खबरें आ रही हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अर्धसैनिक बलों के 10 कंपनियां बिहार में तैनात की जाएंगी। इनमें एसएसबी के अलावे सीआरपीएफ और आईटीबीपी को शामिल किया गया

है। अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं। नवादा में आज उनकी रैली होने वाली है। उपद्रव और संप्रदायिक तनाव की वजह से सासाराम में अमित शाह की रैली को भाजपा ने स्थगित कर दिया है। राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसक वारदातों पर गृह मंत्री ने खुद संज्ञान लिया है।

जानकारी के मुताबिक अर्द्धसैनिक बालों की कंपनियां बिहार के लिए रवाना हो गई है। बिहार शरीफ में शनिवार की शाम पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया। पूरे शहर के इलाके में नालंदा पुलिस और अर्धसैनिक बलों का संयुक्त फ्लैग मार्च किया गया। हालांकि, उसके बाद भी बिहारशरीफ में दो पक्षों में 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। इसमें एक युवक की मौत हो गई और गोली लगने से दो अन्य युवक घायल हैं। उन्मादी भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया उसके बाद बिहारशरीफ के शहरी इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रशासन के आदेश से इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया।

सासाराम और बिहारशरीफ में हुई हिंसा को लेकर नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग, पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम और बिहारशरीफ में हुई हिंसा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामनवमी जुलूस के दौरान बिहारशरीफ में हुई घटना में मृत व्यक्ति के पिता एवं भाई से दूरभाष पर बात कर अपनी संवेदना व्यक्ति की और घटना की पूरी जानकारी ली। इस मामले को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक कर अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।

बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी एवं पुलिस महानिदेशक आरएस भ ी ने बिहारशरीफ और सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए। इस पर नजर रखें।